



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड
(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)
U.P. POWER CORPORATION LIMITED
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)
14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या-670-अ0प्र0-07/पा0का0लि0/2020-24-अ0प्र0-07/19

दिनांक 11/03/2020

सूचना

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में विद्युत सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-04/विसेआ/2019/ए0ई0, दिनांक 19.09.2019 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियन्ता (प्रशिक्षु) इलेक्ट्रिकल, कम्प्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड टेली एवं जानपद के पदों पर चयनित किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि चयनित अभ्यर्थियों को (* एवं # तारांकित को छोड़कर) नियुक्ति पत्र सेवा शर्तों सहित स्पीड पोस्ट से प्रेषित किये गये हैं। प्रेषित किये गये सेवा शर्तों एवं वांछित प्रपत्रों को कारपोरेशन की वेबसाइट पर इस आशय से अपलोड किया जाता है कि सम्बन्धित चयनित अभ्यर्थी तदनुसार सम्पूर्ण प्रपत्रों को तैयार कर विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर (कानपुर रोड), लखनऊ में दिनांक 30 मार्च, 31 मार्च एवं 01 अप्रैल, 2020 को सुबह 10:00 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

कार्यभार ग्रहण करने के समय आपको अपने पहचान पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र सहित निम्नलिखित प्रमाण पत्र, घोषणा पत्र एवं बन्ध पत्र (यथाविधि निष्पादित) प्रस्तुत करने हैं :-

(1) प्रमाणपत्र

- (i) पहचान पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र की मूल एवं सत्यापित प्रति।
- (ii) अन्तिम विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय, जहां आपने शिक्षा ग्रहण की हो, के प्राचार्य अथवा अधिष्ठाता से प्राप्त अच्छे चाल-चलन एवं चरित्र का प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र)
- (iii) दो उत्तरदायी व्यक्तियों (राजपत्रित अधिकारी, जो आपके सम्बन्धी न हों) से प्राप्त "चरित्र प्रमाण पत्र"।
(दोनों आपसे भली-भांति परिचित हों एवं आपके विश्वविद्यालय, विद्यालय अथवा स्कूल से सम्बन्धित भी न हो।)
- (iv) आपकी शैक्षिक योग्यताओं के सत्यापन हेतु प्रमाण पत्रों की मूल एवं प्रमाणित प्रतिलिपि।
- (v) वर्तमान सेवायोजक से प्राप्त "कार्यमुक्ति पत्र", यदि आप शासकीय/अर्धशासकीय विभाग अथवा सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं अथवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। "कार्यमुक्ति पत्र" के अभाव में आपको किसी भी दशा में कार्य भार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- (vi) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रदत्त "जाति प्रमाण पत्र" (अनु0 जा0/अनु0 जन जा0 के अभ्यर्थियों के लिये "परिशिष्ट-छ") व (अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये "परिशिष्ट-ज") (मूलरूप में)।
- (vii) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाना वाला सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र" (मूलरूप में)।

(2) घोषणा पत्र (प्रपत्र संलग्न)

- (i) समस्त चल/अचल सम्पत्ति, आप द्वारा अथवा आप पर निर्भर आपके परिवार के सदस्य द्वारा स्वामित्व अथवा अधिग्रहीत सम्पत्ति को सम्मिलित करते हुये। इस प्रकार की सम्पत्ति का पूर्ण एवं सही विवरण परिशिष्ट 'क' में निर्धारित प्रपत्र पर दिया जाय।

- (ii) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० के प्रति निष्ठा एवं विश्वसनीय सेवा से सम्बन्धित घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ख' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (iii) राजनीतिक दलों से सम्बद्धता/असम्बन्धता संबंधी घोषणा पत्र परिशिष्ट 'ग' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (iv) शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थान अथवा उपक्रम में कार्यरत न होने अथवा कार्यरत होने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र परिशिष्ट 'घ' में निर्धारित प्रपत्र पर।
- (v) एक से अधिक जीवित पत्नी न होने के सम्बन्ध में (परिशिष्ट "य")।
- (vi) उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० में कार्यरत किसी व्यक्ति का आपके सम्बन्धी होने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में (परिशिष्ट "य")।
- (vii) आपके ऋणमुक्त होने के सम्बन्ध में। (परिशिष्ट "य")।
- (viii) चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (चार प्रतियों में) परिशिष्ट 'झ' में निर्धारित प्रपत्र पर (4 सेट में)।



(इन्द्रमणि)

संयुक्त सचिव (02)